न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्व अपील : 65/2017

पीठासीन अधिकारी : नरेश कुमार शर्मा
(आई.ए.एस.)

1. अमर सिंह पुत्र बद्री
2. सुरेश पुत्र बद्री जाति गुर्जर निवासी रलावता तहसील व जिला दौसा.. अपीलांट्स

बनाम

1. पाँची पत्नी बद्री
2. उगन्ति पत्नी जयसिंह
3. नीरु पुत्री जयसिंह नाबालिग जरिए संरक्षिका माता
4. गुठ्ठल पुत्र गंगाधर
5. रोशन पुत्र गंगाधर
6. हरिसिंह पुत्र गंगाधर
7. देव नारायण पुत्र रामनाथ
8. रमेश चंद्र पुत्र रामनाथ समस्त जाति गुर्जर निवासी रलावता तहसील व जिला दौसा
9. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार महोदय दौसा जिला दौसा .. रेस्पोंडेन्ट

अपील विरूद्व आदेश दिनाकं 12.02.1983 नामान्तरकरण जरिए खसरा पत्रक (परिशोधन) ग्राम रलावता ए0एस0ओ0, जयपुर

उपस्थितः— 1. श्री मिट्ठन लाल गुर्जर अधिवक्ता अपीलांट्स पक्ष
2. श्री बच्चू लाल मीना, अधिवक्ता रेस्पो0

निर्णय

दिनांक 06.02.2018

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि सहायक भू–प्रबंध अधिकारी, जयपुर द्वारा तहसील दौसा के ग्राम रलावता की खातेदारी भूमि में राजस्व अभियान दिनांक 12.02.83 के खाता नं0 94 में दर्ज नंबरान पर बद्री के बजाय वारिसान का नाम बतौर खातेदार दर्ज कर दिया गया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पो0 को तलब किया गया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवाई गई । बहस उभय पक्ष सुनी गई ।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपील मीमों में अंकित बिंदुओं को दोहराते हुए बहस में दलील है कि अपीलांट सं0 1 व 2 के पिता रेस्पो0 नं0 एक के पति रेस्पो0 2 के ससुर रेस्पो0 नं0 3 के दादा बद्री पुत्र सॉवला जाति गुर्जर निवासी रलावता तहसील दौसा जिला दौसा की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नंबर 29/1, 92/1, 102 लगा0 104, 114, 156, 157, 187, 191, 194 रकबा 136 बीघा 8 बिस्वा का सह खातेदार था। अपीलांट के पिता बद्री के दो भाई गंगाधर व रामनाथ और थे तीनों भाईयों की कुल आराजी 1/4 हिस्सा था। अपीलांट के पिता रेस्पो0 नं0 एक के पिता का स्वर्गवास अब से अरसा 35–40 वर्ष पूर्व हाल सेटलमेंट से पहले होगई। लम्बित सेटलमेंट मृतक खातेदार बद्री पुत्र सांवल्या के बजाय उसके वारिसान रेस्पो0 सं0

1 एवं रेस्पो0 2 के पति जयसिंह के साथ लोहडिया व धर्मसिंह दोनों गलत नाम के व्यक्तियों के नाम अपीलांट के बजाय अधीनस्थ न्यायालय एएसओ ने दर्ज कर दिया गया। जिसकी जानकारी होने पर अंदर मियाद अपील पेश की गई है। बद्री की मृत्यु के पश्चात हिन्दू उत्तराधिकारी सीमित उसकी पत्नी पॉची पुत्र जयसिंह एवं अपीलांट पुत्र अमरसिंह सुरेश है। मृतक खातेदार बद्री के कोई पुत्र लोहड्या एवं धर्मसिंह नहीं है और ना ही उत्पन्न हुए है। अपीलांट अमरसिंह व सुरेश के हक में भी शुद्ध नाम दर्ज होना चाहिए था। बिना कोई जॉच किये बिना अधीनस्थ न्यायालय एएसओ द्वारा लोहडिया व धर्मसिंह का नाम खसरा परिशोधन (खसरा पत्रक) में गलत नाम दर्ज कर दिया। शिक्षा, परिवार, पहचान पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाते आदि में अमसिंह व सुरेश नाम दर्ज चला आ रहा है। अतः अपील अंदर मियाद मानी जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 12.02.83 बाबत खाता सं0 94 जरिए खसरा पत्रक (खसरा परिशोधन) खरिज फरमाया जाकर अपीलांट को विधि सम्मत सुनवाई का अवसर दिया जाकर नियमानुसार नामान्तरकरण तस्दीक हेतु पत्रावली रिमाण्ड तहसीलदार दौसा को जारी की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट पक्ष की बहस में दलील है कि मृतक खातेदार बद्री के कोई पुत्र लोहड्या एवं धर्मसिंह नहीं है और ना ही उत्पन्न हुए है। बिना कोई जॉच किये बिना अधीनस्थ न्यायालय एएसओ द्वारा लोहडिया व धर्मसिंह का नाम खसरा परिशोधन (खसरा पत्रक) में गलत नाम दर्ज कर दिया। अपीलांट के तथ्यों को स्वीकारते हुए अपील रिमाण्ड किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना बताया है।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। सहायक भू–प्रबंध अधिकारी, जयपुर द्वारा तहसील दौसा के ग्राम रलावता की खातेदारी भूमि में मृतक बद्री की विरासत के आधार पर राजस्व अभियान दिनांक 12.02.83 के खाता नं0 94 में दर्ज नंबर पर बद्री के बजाय वारिसान का नाम दर्ज का नोट अंकित किया गया है। इस संबंध में अपीलांट द्वारा अपील के माध्यम से अपना नाम दुरुस्त करने हेतु अपने पक्ष में पहचान पत्र आधार कार्ड इत्यादि की छाया प्रति न्यायालय के समक्ष पेश की गई है। रेस्पो0 भी प्रकरण को रिमाण्ड चाहते है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में सीधा ही कोई कार्यवाही करना उचित नहीं समझते हुए प्रकरण को तहसीलदार दौसा द्वारा जॉच कर विधि अनुसार निर्णय करने हेतु रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रुप से स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.02.83 पर पारित आदेश निरस्त किया जाता है । तहसीलदार दौसा को प्रकरण प्रति प्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों की जॉच करते हुए पक्षकारान को साक्ष्य/सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर इस न्यायालय के निर्णय के प्रकाश में विधि सम्मत निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति सहित प्रेषित की जावें। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो ।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांकः 06 फरवरी, 2018 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official